सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 524 राँची, शुक्रवार, 3 आषाढ़, 1938 (श०)

24 जून**, 2016** (ई०)

योजना-सह-वित्त विभाग

(वित्त प्रभाग)

संकल्प

17 जून, 2016

विषय:- **ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प संख्या-1468, दिनांक-11.03.2016 के आलोक में RIDF-XXI के तहत् 29-जलछाजन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा स्वीकृत कुल ऋण राशि `330.00 करोड़ का 20% अर्थात ` 66.00 करोड़ Mobilization Advance के रूप में ऋण आहरण की स्वीकृति के संबंध में।** ,

संख्या-अर्थोपाय (30)-06/2016/357/बजट-ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में 29-जलछाजन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा स्वीकृत कुल ऋण राशि ` 330.00 करोड़ (रूपये तीन सौ तीस करोड़) का 20% अर्थात ` 66.00 करोड़ (रूपये छियासठ करोड़) Mobilization Advance के रूप में ऋण आहरण करने का निर्णय किया जाता है:-

2. इस परियोजना हेतु नाबार्ड के पत्र सं॰ NB.JH.SPD/3959/RIDF-XXI-29 Watershed Development Project/154th PSC/2015-16 दिनांक 11.03.2016 द्वारा ` 33,000.65 लाख की ऋण राशि स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध मंत्रिपरिषद् द्वारा मात्र ` 330.00 करोड़ ऋण आहरण की स्वीकृति दी गई है।

3. परियोजना की कुल लागत ` 347.37 करोड़ रुपये है, जिसमें नाबार्ड से ` 330.00 करोड़ रुपये एवं राज्य संसाधन का हिस्सा ` 17.37 करोड़ रुपये शामिल है।

4. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ऋण राशि का आहरण यथा; अनुसूची I वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में किये जायेंगे।

5. ऋण के सामान्य एवं विशेष शर्त्तें नाबार्ड के स्वीकृति पत्र में अंकित है। इसका अनुपालन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जायगा।

6. नाबार्ड से ऋण राशि का आहरण प्राप्त करने के लिए योजना का त्रैमासिक व्यय प्रतिवेदन प्रशासी विभाग द्वारा सांस्थिक वित्त प्रभाग, योजना-सह-वित्त विभाग के माध्यम से योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार को समर्पित किया जायेगा, जिसके आधार पर नाबार्ड से ऋण राशि का आहरण किया जायेगा। ऋण की मूल राशि एवं इसपर देय ब्याज राशि का भुगतान योजन-सह-वित्त विभाग द्वारा की जायेगी, जिसके लिए वित्तीय बजट का प्रावधान किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन हेतु नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण राशि (` 330.00 करोड़) का 20% (` 66.00 करोड़) Mobilization Advance हेतु लिए जायेंगे।

7. ग्रामीण विकास विभाग NABARD RIDF से संचालित योजना का अपनी website पर प्रारम्भ से अद्यतन स्थिति संधारित करेगा।

8. चालू (on going) योजना की भौतिक प्रगति एवं वित्तीय प्रगति ग्रामीण विकास विभाग, विभागीय website पर update करेगा।

9. ग्रामीण विकास विभाग निर्माण गुणवत्ता का स्वतंत्र evaluator से भी monitoring करायेगा तथा विशेष ध्यान देगा एवं इसे भी website पर update करेगा।

10. योजनाओं के पूरा होने पर कुल 157898 हेक्टेयर भूमि का उपचार होगा। इस योजना अन्तर्गत कुल 36380 हेक्टेयर भूमि में मेड़बंदी, ट्रेंच तथा भूमि समतलीकरण का कार्य, 1650 चेक डैम, 1800 जल संचयन संरचना, 1500 गली प्लग, बोल्डर चेक डैम, 12000 चूंआ एवं जलस्रोतों का जीर्णोद्धार तथा 1290 हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।

11. इन जलछाजन परियोजनाओं का रख-रखाव एवं भविष्य की मरम्मति ग्रामीण विकास विभाग करेगा।

12. यह संकल्प विभागीय संलेख 295/बजट, दिनांक 31 मई, 2016 पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 31 मई, 2016 के मद संख्या-26 के रूप में प्राप्त अनुमोदन एवं शुद्धि-पत्र संख्या-349/बजट, दिनांक-14 जून, 2016 के क्रम में निर्गत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
अमित खरे,
अपर मुख्य सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 524—50+200 ।